सं. 24/222/2014-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
+++

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1
दिनांक : 18 जून, 2014

सेवा में,

राजेन्द्र कुमार यादव,
निवासी ग्राम कुठेना, डाकघर-खेतालपुर,
जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221104

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के आर टी आई अनुभाग के दिनांक 13.05.2014 के का. ज्ञा सं. ए.43020/01/2014-आर टी आई के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 20.05.2014 को प्राप्त अपने दिनांक 07.04.2014 के अनुरोध का अवलोकन करें।

3. आपके प्रश्न के बिन्दु 3 (अधोहस्ताक्षरी से संबंधित एकमात्र बिन्दु) के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि यह विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 2(च) में दी गई 'सूचना' की परिभाषा के तहत कवर नहीं होता है। इस अधिनियन के तहत, कोई आवेदक लोक प्राधिकारी से केवल वह सूचना मांग सकता है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास रिकॉर्डों में मौजूद है, ना कि वह उक्त लोक प्राधिकारी की राय मांग सकता है। तथापि यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग/प्रदर्शन/फहराने को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 के द्वारा विनियमित किया जाता है, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर मौजूद है। भारत की झंडा संहिता, 2002 की धारा-Vii, खण्ड-III में अन्य राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र के झंडों के साथ राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन के ब्यौरे का उल्लेख है। इस मंत्रालय के पास कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है। ।

3. यदि कोई अपील हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियन की धारा 19(1) के तहत 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी से की जा सकती है। अपील प्राधिकारी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

4. श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कक्ष सं. 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

श्या. मोहन

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

1. आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त पत्र के संबंध में।
2. श्री गिन खान थुंग, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक मामला विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.04.2014 के का. ज्ञा. सं. 21(383)/टी/4/2014-आई सी के संदर्भ में।
3. आई॰ टी॰ सेक्सन, गृह मंत्रालय ।